भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4344

(जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अप्रैल, 2017 को दिया गया)

कारपोरेट निकायों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाना

4344. श्रीमती जया बच्चन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विधि के मौजूदा उपबंधों तथा सरकार के अन्य सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई कंपनी किसी राजनीतिक दल को कितनी राशि का चंदा दे सकती है, ये उपबंध कब अधिनियमित किए गए थे और अंतिम बार इनमें संशोधन कब हुआ था;

(ख) क्या सरकार कारपोरेट निकायों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे से संबंधित विधि की समीक्षा करने का विचार रखती है; और

(ग) विधि के उन उपबंधों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत विदेशी कंपनियों को देश के राजनीतिक दलों को चंदा देने की अनुमति है, गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार की कंपनियों की सूची क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): राजनीतिक दलों को अंशदान कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 182 द्वारा शासित किया जाता है, जिसमें प्रावधान है कि कंपनी जो एक सरकारी कंपनी नहीं है और जो कम से कम पिछले तीन वित्तीय वर्षों से अस्तित्व में है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनिय़म, 1951 के तहत रजिस्ट्रीकृत किसी भी राजनीतिक दल को कितनी भी राशि का अंशदान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से दे सकती है। यह धारा दिनांक 12.09.2013 को प्रवृत्त की गई थी। वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 154 द्वारा कंपनी अधिनिय़म, 2013 की धारा 182 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार, किसी कंपनी द्वारा किसी राजनीतिक दल को अंशदान की जा सकने वाली अधिकतम राशि की सीमा हटा दी गई है।

इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छछख के अनुसार किसी भारतीय कंपनी को किसी राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन ट्रस्ट को नकदी को छोड़कर किए गए अंशदान के लिए कर योग्य आय से कटौती की अनुमति प्रदान की गई है।

(ग): गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि जैसा कि विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए, 2010) में विहित है, राजनीतिक दलों को किए जाने वाले विदेशी अंशदानों के संबंध में कानून की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त, एफसीआरए, 2010 की धारा 3 के अनुसार राजनीतिक दलों या उनके पदाधिकारियों को विदेशी कंपनियों सहित किसी विदेशी स्रोत से विदेशी अंशदान स्वीकार करना निषेध है।

*****